Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर का प्रवर्तन अधिकारी (ई. ओ.) एवं उसका सहयोगी कनिष्ठ सहायक (राजस्थान राज्यकर्मी) 15 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **चिटफण्ड केस में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मांगे, 17 लाख रुपये**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 नवम्बर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **नवल किशोर मीणा प्रवर्तन अधिकारी (ई.ओ.)** सब जोन कार्यालय, **प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर** एवं उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक–मुंडावर, जिला खैरथल तिजारा (राज.) को परिवादी से **15 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि **कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर में दर्ज चिटफण्ड–प्रकरण** में उसके विरूद्ध मामले को निपटाने, प्रोपर्टी अटैच नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में नवल किशोर मीणा प्रवर्तन अधिकारी (ई.ओ.) सब जोन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर द्वारा **17 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, पुलिस निरीक्षक श्री सत्यवीर सिंह एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये नवल किशोर मीणा उर्फ एन.के. मीणा पुत्र श्री श्रवण लाल मीणा निवासी ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तुंगा, बस्सी, जिला जयपुर हाल प्रवर्तन अधिकारी (ई.ओ.) सब जोन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) इम्फाल, मणिपुर को उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा उर्फ दिनेश पुत्र श्री गोविन्दराम मीणा निवासी ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तुंगा, बस्सी, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक–मुंडावर, जिला खैरथल तिजारा (राज.) के माध्यम से परिवादी से **15 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।